

निग १२९६/II/15

लिंगकरीव  
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (मोप्र०)

(161)



निगरानी क्र० / 15

1. बाबूलाल तनय स्व० श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ५० वर्ष  
 2. मोतीलाल तनय स्व० श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ५८ वर्ष  
 3. रामचन्द्र तनय स्व० श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार उम्र ३४ वर्ष  
 4. मु० चुनकी पत्नी स्व० श्री कैलसवा उर्फ कैलाश कुम्हार ७८ वर्ष सभी निवासी  
 नयागांव चित्रकूट थाना नयागांव तहसील मङ्गगांव जिला सतना मोप्र०

— निगराकारगण —

### बनाम

1. शिवप्रसाद पिता दुजवा कुम्हार साकिन नयागांव तहसील मङ्गगांव जिला  
 सतना मोप्र०  
 2. शासन मोप्र० द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना जिला सतना मोप्र०

— गैरनिगराकारगण —

ग्रा. एक पी. पेट्रो  
 अनु. १९.४.१५  
 निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मङ्गगांव  
 जिला सतना मोप्र० के राजस्व प्रकरण  
 क्र० 13/अ१२/२०१४-१५ में पारित  
 आदेश दि० ३०/५/२०१५

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान राजस्व  
निरीक्षक वृत्त चित्रकूट तहसील मङ्गगांव  
जिला सतना मोप्र० के राजस्व प्रकरण  
क्र० 13/अ१२/२०१४-१५ में पारित  
आदेश दि० ३०/५/२०१५  
निग० अंतर्गत धारा 50 मोप्र०भ०रा०सं०

मान्यवर,

निगराकारगण निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निम्नलिखित  
 विनय करते हैं—

### निगरानी के तथ्य

यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क्र० 1  
 द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 मोप्र०भ०रा०सं० के तहत श्रीमान राजस्व  
 अ. निरीक्षक वृत्त चित्रकूट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर गैरनिगराकार क्र० 1, जो  
 परें वाला व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने राजस्व निरीक्षक वृत्त चित्रकूट व हल्का  
 अ. निरीक्षक पतवारी नयागांव चित्रकूट को अपने प्रभाव में लेते हुये चोरी छिपे बिना सरहददी  
 मु. तुन्हा

रामचंद्र

(16)  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकारण क्रमांक...निःश.२९१६-पा।१५.....जिला सतना

विरुद्ध विवाह अनुबंध  
बाबूलाल

1	2	3
१०.१२.१८	<p>1. आवेदक की ओर से श्री लोकेश सिंह अधिवक्ता द्वारा          यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त निगरानी कानूनी संस्था के          प्रकरण क्रमांक...१३।३८।२।२०।५-२०।५ में पारित          आदेश दिनांक...३०-०५-२०।५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी          है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये          संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधीधित संहिता की धारा 50          सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण          कलेक्टर, निःश.सतना के न्यायालय को अंतरित किया          जाता है। उभयपक्ष दिनांक ...-०३-१९ को          कलेक्टर, निःश.सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु          उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">\/ _____ सदस्य</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	